

SEXUAL HARASSMENT PREVENTION & REDRESSAL REPORT

Project: Construction of 50 m Intermediate lane steel truss bridge in Uttarkashi – Lambgaon-Ghansali-Tilwara Motor Road km 98- near Hanuman Temple, Block-Bhilangana, District Tehri, Uttarakhand

Location: Ghansali

Executing Firm: M/S Doon Infrastructure

Implementing Agency: U PREPARE, Uttarakhand

Client: Program Manager, U PREPARE, Dehradun, Uttarakhand

FPIU: Executive Engineer, TD, PWD, Ghansali

Funding Agency: The World Bank



1. OBJECTIVE

To ensure the creation of a safe and respectful working environment at the bridge construction site, in accordance with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and the World Bank's Environmental and Social Framework (ESF). This report outlines actions taken to prevent any form of workplace harassment, especially in the absence of female staff.

2. WORKFORCE PROFILE

- Total Labour Strength: 30-35 (7 Skilled, 12 Semi-skilled, 16 Unskilled)
- Female Workers: None
- Female Staff: None

3. PREVENTIVE MEASURES IMPLEMENTED

- **Awareness Signage:** Banners in Hindi displayed at worksite and camp promoting zero tolerance towards harassment.
- **Worker Sensitization:** Topics related to workplace conduct and respect included in labour inductions and toolbox talks.
- **Complaint Mechanism:** GRC formed for labour; monitored by OHS Officer.
- **Nodal Officer Designated:** The OHS Officer is the point of contact for any harassment-related complaints.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR



P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- <http://pwd.uk.gov.in>

Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :- eeepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :-

दिनांक-14/11/2024

कार्यालय झांप

जनपद टिहरी में विश्व बैंक पोषित U-PREPARE परियोजना के Contract Agreement No:18/01/BR/RFB/UGIDP/UGRIDP/2023 Dated-29-08-2025 के अन्तर्गत Construction of 50 M Span Intermediate Lane Steel Truss Motor Bridge in Uttarkashi-Lambgaon-Ghansali-Tilwada Motor Road km-98 near Hunuman Temple in District Tehri का कार्य प्रगति पर है। जिसके लिए Grievance Redressal Committee (GRC) गठित किये जाने के आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार Grievance Redressal Committee (GRC) गठित की जाती है।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	समिति	मोबाईल नं०
01	इं० डी०सी० नौटियाल	अधिशासी अभियन्ता	अध्यक्ष	9412140974
02	इं० अंकित भट्ट	सहायक अभियन्ता	सदस्य सचिव	9891834993
03	श्री अंकित बिष्ट	ठेकेदार प्रतिनिधि	सदस्य	6398115632
04	श्रीमती कृष्णा गैरोला	स्थानीय निवासी	सदस्य	9627978433
05	श्री गोविन्द प्रसाद बडोनी	स्थानीय निवासी	सदस्य	8126174902

(इं० डी०सी० नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार

पत्रांक- 1464/06सी०

तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

- 01 कार्यक्रम प्रबन्धक, पी०आई०यू०-लो०नि०वि०, U-PREPARE देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 02 मुख्य अभियन्ता स्तर-1, पी०आई०यू० (पी०डब्लू०डी०) U-PREPARE आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा, रोड़ देहरादून।
- 03 सहायक अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।
- 04 समस्त समिति सदस्य गण।
- 05 मैसर्स दून इन्फ्रस्ट्रक्चर 5-ए०, वेस्ट रेस्ट कैम्प, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार




Fig 1: Code Of Conduct for Labourers at Site





Fig 2: Prevention of Sexual Abuse against women information at site

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (बचाव, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013



कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न-

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अर्थात् इस से या किसी भी प्रकार से:

- शरीर को स्पर्श करना या कोशिश करना,
- यौन-सम्बन्ध स्थापित करने की माँग या अनुरोध,
- यौन-रसात्मक मन्त्र्य या मजाक करना,
- अश्लील फिल्म या पुस्तक दिखाना,
- शारीरिक, मौखिक या भाषागत रूप से,
- अन्य किसी भी प्रकार का यौन-आवरण, जिससे आप परेशान होते हैं, या लैंग भावना महसूस करते हैं।

कहाँ/ किसके लिए लागू हैं ये प्रावधान ?

संगठित अथवा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में, सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे वह सरकारी या गैर-सरकारी अथवा निजी मालिकाना के अंतर्गत हों।

कानूनी प्रावधान:

- धारा 294-के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाने या अश्लील शब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसे में तीन महीने का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- धारा 354-के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला को लज्जा भंग करने के इरादे से अनचाहा शारीरिक संपर्क या यौनिक फायदा उठाता है, यौनिक संपर्क के लिए निवेदन करता हो, अश्लील या यौनिक टिप्पणी करता हो, उसे अश्लील फोटो दिखाता हो, ऐसे में उसे कम से कम 03 साल का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
- धारा 509- किसी महिला के लज्जा भंग करने के इरादे से कोई शब्द उच्चारित करना या भाव-अंगिका बनाना।

अब अपनी शिकायत 24X7
निःशुल्क महिला हेल्पलाइन नं०
112/181/ 18005991782 पर
कर सकते हैं।

- ✓ किसी महिला को नुन करने के इरादे से उस पर आपराधिक हमला करना।
सजा: 03 साल से 07 साल तक की कैद या जुर्माना।
- ✓ किसी महिला निजी क्षेत्रों में कोई क्रिया करते हुए उसकी तस्वीर खींचना।
सजा: 01 से 03 साल तक की कैद। दोबारा वही अपराध करने पर 07 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है।
- ✓ किसी महिला का पीछा करना, उससे संपर्क करने की कोशिश करना या इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी करना।
सजा: 03 साल की कैद, दोबारा वही अपराध करने पर 05 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है।

विभाग का नाम- _____
कार्यालय का नाम- _____
शिकायत किस अधिकारी से करें- नाम एवं पदनाम: _____
मोबाईल नं०: _____
ईमेल: _____

(जब भी शिकायतें प्राप्त हों तो आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक व्यक्ति को नामित किया जाना चाहिए)

Fig 3: Prevention of Sexual Abuse against women information at site




Fig 4: Social Cause posters at site

4. INTERNAL COMMITTEE (NOT APPLICABLE)

As there are currently no female employees or staff posted at the project site and the total workforce is under 10 permanent staff, a formal Internal Committee (IC) has not been constituted. In lieu of this, grievance redressal responsibilities are assigned to the site's designated OHS Officer in alignment with World Bank and Government of India guidelines.

5. INCIDENT REPORTING STATUS

Month	Complaints Received	Resolved	Pending	Remarks
[Insert Month]	0	0	0	No complaints received

6. CONCLUSION

No instances of sexual harassment have been reported at the bridge site at Daluwala. Preventive mechanisms are functional, and the workforce is regularly sensitized despite the absence of female staff. The project is committed to upholding a safe and dignified work environment.